प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या: 1562/2004

एफ.एफ.डी.ए. (तथ्य अन्वेषण , दस्तावेजीकरण एवं वकालत मंच), रायपुर (छ.ग.) द्वारा —— इसके अध्यक्ष, सुभाष महापात्र, पिता —— स्व. जालंधर महापात्र, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी —— ए–3, सहानी बिहार, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)

– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा —— सचिव, गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. भारत संघ द्वारा —— सचिव, रेलवे विभाग, नई दिल्ली
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
4. महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ.ग.)
5. प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर (छ.ग.)
6. पुलिस अधीक्षक (रेलवे), रायपुर (छ.ग.)
7. प्रभागीय निरीक्षक, रेलवे पुलिस बल, रायपुर प्रभाग, रायपुर (छ.ग.)
8. थाना प्रभारी (रेलवे), रेलवे पुलिस थाना, रायपुर (छ.ग.)
9. पुलिस अधीक्षक, रायपुर (छ.ग.)
10. थाना प्रभारी, थाना —— गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत जनहित याचिका

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या: 1562/2004

एफ.एफ.डी.ए. (तथ्य अन्वेषण , दस्तावेजीकरण एवं वकालत मंच), रायपुर (छ.ग.)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु 10–06–2005

सही /–

फ़ख़रुद्दीन

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के . श्रीवास्तव

सही /–

वी.के. श्रीवास्तव

न्यायाधीश

24–06–2005

सही /–

फ़ख़रुद्दीन

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या: 1562/2004

एफ.एफ.डी.ए. (तथ्य, अन्वेषण,दस्तावेजीकरण एवं वकालत मंच), रायपुर (छ.ग.) द्वारा – अध्यक्ष, सुभाष महापात्र, पिता – स्व. जालंधर महापात्र, उम्र लगभग 30 वर्ष,निवासी – ए–3, सहानी बिहार, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

पीठ

माननीय श्री न्यायमूर्ति फ़ख़रुद्दीन तथा

माननीय श्री न्यायमूर्ति वी.के. श्रीवास्तव, न्यायाधीशगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से:	श्रीमती मीना शास्त्री, अधिवक्ता
छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से:	श्री प्रमोद वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता
भारत संघ की ओर से:	श्री ठाकुर विजय सिंह, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
रेलवे बोर्ड की ओर से:	श्री विनय हरित, वरिष्ठ अधिवक्ता

आदेश

माननीय न्यायमूर्ति फ़ख़रुद्दीन द्वारा:

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए ।

2. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि पिछले 10 वर्षों से नकुल ध्रुव अपनी पत्नी और दो नाबालिग पुत्रियों — कु. संगीता ध्रुव (उम्र 12 वर्ष) और कु. गंगोत्री (उम्र लगभग 4 वर्ष) के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहता हैं। यह तर्क प्रस्तुत

किया गया है कि दिनांक 18/05/2004 को रात लगभग 10:00 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर दो व्यक्तियों ने कु. गंगोत्री के साथ बलात्कार किया। इस घटना के बाद लड़की का पिता उसे उपचार हेतु सरकारी अस्पताल मेकाहरा ले गया । यह अभिकथित है कि अगले दिन जब लड़की की मां इंदु बाई अपनी पुत्री के साथ रेलवे पुलिस थाने गई और घटना की जानकारी दी तो पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय उनसे यह पूछना शुरू कर दिया कि वे लोग प्लेटफॉर्म पर क्यों रह रहे हैं। यह आगे कथन किया गया है कि दिनांक 29/05/2004 को रात 10 बजे नकुल ध्रुव की दूसरी पुत्री कु. संगीता ध्रुव के साथ छह व्यक्तियों ने बलात्कार किया। यह मामला 07/06/2004 को समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए लड़की के पिता ने याचिकाकर्ता से संपर्क किया और याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की। याचिका में प्रार्थना की गई है कि दोनों पीड़ित अभियोक्त्रीगण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत जनहित याचिका और उनके माता–पिता को उपयुक्त आजीविका का साधन तथा निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। यह भी प्रार्थना की गई है कि प्रत्येक पीड़िता को यौन शोषण और उत्पीड़न के लिए रु 5,00,000 का मुआवज़ा उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा प्रदान किया जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की गई है कि इस मामले की जांच किसी आयोग या किसी स्वतंत्र संस्था जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो से करवाई जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। यह भी प्रार्थना किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सभी आश्रमों या संस्थानों की जांच कराई जाए जहाँ महिलाएं और बच्चे रखे जाते हैं — चाहे वे सरकारी हों या निजी संस्थाओं द्वारा संचालित — और यदि आवश्यक हो तो इस कार्य में याचिकाकर्ता की सहायता ली जाए ताकि इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। याचिकाकर्ता ने आगे यह भी प्रार्थना की है कि राज्य द्वारा बलात्कार पीड़िताओं का पुनर्वास किया जाए साथ ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले अन्य लोगों का भी पुनर्वास किया जाए। राज्य को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह महिलाओं और बच्चों पर एक उपयुक्त एवं प्रभावी राज्य नीति बनाए और उसका सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। याचिका में यह भी प्रार्थना किया गया है कि उत्तरवादी संख्या 2 से 7 को यह निर्देश दिया जाए कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के रेलवे प्लेटफॉर्मों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम करें रिपोर्ट दर्ज करें, इस घटना कि उचित रूप से जांच करें और दोषियों को सज़ा दिलवाएं। साथ ही यह भी निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को समय पर उचित इलाज दिया जाए और लापरवाह कर्मचारियों को दंडित किया जाए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. यह मामला 18/06/2004 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ और इस न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश पारित किया। तत्पश्चात अपराध पंजीबद्ध किया गया और जांच प्रारंभ की गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता को घटना की वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के अनुपालन में, तथ्यानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 18/05/2004 को रेलवे थाना में कु. गंगोत्री के साथ बलात्कार की घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। 28/05/2004 को पीड़िता की माता थाना में उपस्थित हुई और बताया कि मन्नू सतनामी का लगभग 4 वर्ष का पुत्र ने 18/05/2004 को कु. गंगोत्री के गुप्तांग पर चोट पहुँचाई थी । इस पर गंगोत्री, को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया, किंतु चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह मामला बलात्कार का नहीं पाया गया। 07/06/2004 को गंगोत्री के पिता ने शासकीय रेलवे पुलिस थाना रायपुर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण की जांच जारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया है ।

5. जहाँ तक बालिकाओं पर कथित अपराध का प्रश्न है, इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में प्रकरण की जांच लंबित है ।

6. याचिकाकर्ता के पक्षकार ने प्रस्तुत किया कि पीड़ित परिवार को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराया गया है तथा ₹25,000/– की राशि भी प्रदान की गई है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्रीमती शास्त्री, अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि कुछ व्यक्ति रेलवे प्लेटफार्म पर निवास कर रहे हैं, जबकि प्लेटफार्म पर बिना वैध टिकट के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। प्लेटफार्म रेलवे की संपत्ति है और किसी को भी उसे आवास स्थल के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में विधि पूर्णतः स्पष्ट है। गरीबी के कारण यह स्थान निवास स्थल बन गया है।

8. जहाँ तक रेलवे की गतिविधियों का प्रश्न है, इस न्यायालय ने इस विषय पर 2002 (1) C.G.L.J 400 में प्रकाशित *इन रे यूनियन ऑफ इंडिया, साउथ ईस्टर्न रेलवे* के प्रकरण में मामले पर विचार किया और कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए। आदेश का प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किया गया है।

"प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा महासचिव या कोई अन्य सक्षम/उत्तरदायी अधिकारी को बिलासपुर रेलवे स्टेशन तथा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अन्य प्रमुख स्टेशनों जैसे रायपुर, रायगढ़, दुर्ग आदि का विस्तारपूर्वक निरीक्षण करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाए और तुरंत ही वे सभी ऐसे निवारणात्मक कदम उठाएँ जो चिन्हित की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनुमेय हैं तथा जिनका अनुभव किया गया है और जिन्हें अधिवक्ता एवं न्याय मित्र द्वारा दोहराया गया है, साथ ही वे बिंदु भी जो निरीक्षण हेतु गए अधिकारी द्वारा नोट किए जाएँ। संबंधित अधिकारियों द्वारा, जिनमें महासचिव भी सम्मिलित हैं, उठाए गए सभी कदमों प्रतिवेदन इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष, इस आदेश की प्रति प्राप्ति की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, प्रस्तुत की जाए"।

9. इस न्यायालय ने मामले का विचारण रिट याचिका क्र.1026/2002 में भी किया है। आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"जहाँ तक असामाजिक तत्वों की आवाजाही का प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों में शॉर्ट सर्किट वीडियो कैमरा लगाया जाना चाहिए ताकि ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और उन्हें पदस्थ पुलिस/जीआरपी द्वारा पकड़ा जा सके तथा उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके"।

10. संसद ने भी इस पहलू पर विचार किया है और रेलवे (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 (अधिनियम सं. 51 वर्ष 2003) को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत संबंधित विषय में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा 'अधिकृत अधिकारी' की परिभाषा दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों को भी अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन, रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 2003 (अधिनियम सं. 52 वर्ष 2003) के माध्यम से किया गया है। अब रेलवे सुरक्षा अधिनियम की धारा 2(cb) के तहत 'यात्री क्षेत्र' में रेलवे प्लेटफॉर्म, ट्रेन, यार्ड एवं ऐसे अन्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जहाँ यात्रियों का नियमित आना-जाना होता है। इस संदर्भ में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 11 महत्वपूर्ण है, जिसका उद्धरण नीचे किया गया है। बल के प्रत्येक उच्च अधिकारी एवं सदस्य का कर्तव्य होगा कि –

(क) अपने उच्चाधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिए गए सभी आदेशों का शीघ्रता से पालन करे।

(ग) रेलवे संपत्ति और यात्रियों की आवाजाही में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा

को दूर करे।

(घ) रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र तथा यात्रियों की बेहतर सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु आवश्यक अन्य कार्य करे।

11. अब "रेलवे संपत्ति' शब्द का अर्थ 'रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र एवं यात्रियों" है।

12. कानून में किए गए संशोधन तभी प्रभावी सिद्ध होंगे जब संबंधित प्राधिकरण विधि अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अब इस दिशा में पहल की जानी चाहिए। संबंधित जोनल प्रबंधक/प्रभागीय रेलवे प्रबंधक इस मामले पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें। की गई कार्यवाही की रिपोर्ट इस न्यायालय के रजिस्टार जनरल के समक्ष कक्षीय अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जाए।

13. उपरोक्त कथनों के अधीन, यह याचिका निराकृत की जाती है।

14. निराकरण से पूर्व, हम पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं की सराहना करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–	सही/–
फ़ख़रुद्दीन	वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Shailesh Kachhap [Adv.]